—— : : न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा : : ——

पृ0कमांक / 776 / आर0दो0(एच0) / 2018 छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 सितंबर 2018

प्रतिलिपि :—

1—वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाडा वनमंडल, छिन्दवाडा ।
2—महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई—3, छिन्दवाडा ।
3—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव ।
4—नायब तहसीलदार, दमुआ ।

.. को इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण कमांक 36 / अ—19(3) / 2017—18 में पारित आदेश दिनांक 11 / 9 / 2018 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

डिप्टी कलेक्टर,
ओर से कलेक्टर, छिन्दवाडा।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

1655 18/9/18

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /0036/अ–19(3)/2017–2018

महाप्रबंधक म0प्र0 सडक विकास प्राधिकरण छिन्दवाडा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

1	2	3
11 .09.2018	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव से प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेष ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई–3, छिन्दवाडा ने अपने पत्र कमांक 1016/तक./म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. –3/2017, छिन्दवाडा, दिनांक 12.08.2017 एवं पत्र कमांक 978/तक. /म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.–3/2018, छिन्दवाडा, दिनांक 30.08.2018 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत मार्ग (रामपुर से चंदनिया कोयलावाडी, विकासखंड जुन्नारदेव) में प्रभावित वन भूमि 3.789 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में उतनी ही गैर वन भूमि (राजस्व) उपलब्ध कराने या उक्त भूमि उपलब्ध नही हो तो छोटे बडे झाड का जंगल मद की दो गुनी 7.58 हेक्टेयर वनभूमि आंबटन किये जाने का अनुरोध किया गया है । आवेदित विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव से कराई जाकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(1) की कंडिका–25 में एवं भू–राजस्व संहिता 1959 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत तथा दो स्थानीय समचार पत्रों में इष्तहार का प्रकाषान, संबंधित विभाग, स्थानीय निकायों से अनापत्ति एवं आवेदित विभाग की उपस्थिति में संयुक्त स्थल निरीक्षण, बिन्दुवार प्रतिवेदन, वनमंडल छिन्दवाडा से अभिमत/अनापत्ति से स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित चाहा गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार, दमुआ की ओर भेजा जाकर नियमानुसार वांछित प्रतिवेदन एवं दस्तावेज अपेक्षित किये गये । नायब तहसीलदार, दमुआ द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इष्तहार का प्रकाषन करवाया गया एवं स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत बातरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा आवेदित विभाग एवं वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण उपरांत वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति/ उपयुक्ता प्रमाण पत्र जों प्रकरण में पूर्ति कर संलग्न किया गया है । नायब तहसीलदार, .दमुआ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है । नायब तहसीलदार, दमुआ ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मार्ग (रामपुर से चंदनिया कोयलावाडी, विकासखंड	

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /0036/अ–19(3)/2017–2018

महाप्रबंधक म0प्र0 सडक विकास प्राधिकरण छिन्दवाडा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

1	2	3

जुन्नारदेव) में प्रभावित वनभूमि 3.789 हेक्टेयर के एवज में उतनी ही गैर वन भूमि (राजस्व) अथवा उक्त भूमि उपलब्ध न होने की दषा में छोटे बडे झाड का जंगल मद की दो गुनी 7.578 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि की मांग के संबंध में जांच की गई । कार्यालय वनमंडल अधिकारी (पष्चिम) छिन्दवाडा वन मंडल के पत्र कमांक मा.चि./2017/23 छिन्दवाडा दिनांक 01.01.2018 के परिपालन में दिनांक 30.01.2018 को नायब तहसीलदार, दमुआ रा.नि./हल्का पटवारी एवं अनुविभागीय अधिकारी वन, वन परिपेक्ष अधिकारी दमुआ एवं वन कर्मचारियों की उपस्थिति में ग्राम बातरी स्थित शासकीय खसरा नंबर 209/1 रकबा 48.945 हेक्टेयर मद चरनोई में से लगभग 10.00 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण किया गया । मौके पर अनुविभागीय अधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी दमुआ द्वारा आपत्ति पेष की गई की मौके पर उक्त खसरा नंबर 209/1 की जमीन में से ही पूर्व में 20 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को आबंटित हुई है एवं अब मौके पर जमीन उपलब्ध नही है । यदि जमीन की जी.पी.एस. रीडिंग में माप करने के बाद उपलब्ध होगी तो हमे कोई आपत्ति नही है । वन विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा जी.पी.एस. रीडिंग से जमीन मापेंगे एवं वस्तुस्थिति स्पष्ट करेंगें । उक्ताशय का पंचनामा तैयार किया गया । तत्पश्चात दिनांक 06.02.2018 को पुनः वनविभाग के कर्मचारी एवं हल्का पटवारी द्वारा ग्राम बातरी रा.नि. मंडल दमुआ स्थित भूमि खसरा नंबर 209/1 रकबा 48.945 हेक्टेयर में से 7.578 हेक्टेयर भूमि जो वन बीट कमांक 375 से लगी हुई है का वन विभाग एवं राजस्व विभाग के नक्षा शीटों से मिलान किया गया मौके पर उक्त लमीन रिक्त एवं अतिक्रमण मुक्त है जिसे वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना बताया गया है एवं उक्त प्रस्तावित राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण हेतु सहमति व्यक्त किया गया है ग्राम में इष्तहार का प्रकाशन कराया गया कोई दावा आपत्ति पेश नही है । नायब तहसीलदार, दमुआ द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मार्ग (रामपुर से चंदनिया कोयलावाडी, विकासखंड जुन्नारदेव) में प्रभावित वनभूमि 3.789 हेक्टेयर के एवज में ग्राम बातरी रा.नि.मंडल दमुआ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 209/1 रकबा 45.945 हेक्टेयर मद चरनोई में से 7.578 हेक्टेयर भूमि वनविभाग की सहमति उपरांत वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुषंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव के माध्यम से इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है ।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

1	2	3

वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाडा सामान्य वनमंडल, छिन्दवाडा द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/3186 दिनांक 26.06.2018 जो कि नायब तहसीलदार, दमुआ को संबोधित किया जाकर इस न्यायालय को पृष्ठांकित किया गया है जिसमें लेख किया गया है कि वनपरिक्षेत्र दमुआ अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना परियोजना कियान्वयन इकाई क–2 छिन्दवाडा के अन्तर्गत चंदनिया कोयलवाडी मार्ग लंबाई 12.68 कि.मी. का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है। उक्त प्रकरण में चंदनिया से कोयलवाडी मार्ग में आने वाली वनभूमि 3.798 हेक्टेयर के बदले दो गुनी राजस्व भूमि कम से कम 10 हेक्टेयर लिया जाना है । इस हेतु महाप्रबंधक, मध्यप्रदेष ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई–2, सांई मंदिर के पास (बडवन) छिन्दवाडा द्वारा दिया जाना है । ग्राम बातरी खसरा नंबर 209/1 रकबा 48.945 हेक्टेयर मद चरनोई में से 7.578 हेक्टेयर भूमि वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन चाहा गया है । उक्त स्थल का उपवनमंडलाधिकारी, परासिया एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बातरी खसरा नंबर 209/1 रकबा 48.945 हेक्टेयर मद चरनोई में से 7.578 हेक्टेयर क्षेत्र बांस रोपण के लिये उपयुक्त है । प्रतिवेदित किया गया है ।

मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव सचिवालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक/एफ 25–36/2005/10–3, भोपाल दिनांक 24.12.2014 के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व मद की भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निर्देशित किया गया है कि "वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार ने यह प्रावधान किया गया है कि छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की भूमि यदि राज्य सरकार वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित करती है तो उसे मान्य किया जावेगा। छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि चूंकि वन के रूप में दर्ज है अतः वन भूमि के प्रस्तावित व्यपवर्तन के लिए दो गुने क्षेत्र में यह भूमि उपलब्ध कराई जानी होगी। "

प्रकरण तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं नायब तहसीलदार, दमुआ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार शासकीय भूमि मौजा–बातरी ब0न0 23, प0ह0नं0–10 राजस्व निरीक्षक मण्डल दमुआ, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा स्थित भूमि खसरा नम्बर

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक–/0036/अ–19(3)/2017–2018

महाप्रबंधक म0प्र0 सडक विकास प्राधिकरण छिन्दवाडा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

1	2	3

209/1 रकबा 48.945 हेक्टेयर मद चरनोई में से रकबा 7.578 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–4 कमांक–2 की कंडिका–5 में वर्णित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक एफ–5/11/06/10–3/2105, भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2008 तथा मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव सचिवालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक/एफ 25–36/2005/10–3, भोपाल दिनांक 24.12.2014 एवं मध्यप्रदेष शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक एफ–5/11/10–3/2105, भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2008 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में वन विभाग (वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाडा सामान्य वनमंडल, छिन्दवाडा) को वनीकरण कार्य हेतु हस्तान्तरित की जाती है।

नायब तहसीलदार दमुआ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव को निर्देश दिये जाते है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पक्ष में सौंपा जावें।

आदेश की प्रति सर्व संबंधितों को भेजी जावें।

प्रकरण नस्तीबद्ध, जिला अभिलेखागार जमा हो।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र.

(वेद प्रकाश)
कलेक्टर,
जिला–छिन्दवाडा।

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

भूमि का रकबा हेक्टेयर में एवं करों का रकबा रुपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बातरी	हल्का : बातरी	रा.नि.म. : दमुआ	तहसील : जुन्नारदेव	जिला : छिंदवाड़ा	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी गौरसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के किसी में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान मे फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209/1/2	7.5780	(शासकीय) जल विभाग पता वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा न छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय									पटवारा प्रकरण क्रमांक 0036/अ-19-3/2017-18 आ.दि. 11/09/2018 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(भू-आवंटन)प्रकरण क्रमांक 0036/अ/19/32017-18 आ.दि. 19/09/2020 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल पार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Specimen copy for Digital signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

भूमि का रकबा हेक्टेयर में एवं करों का रकबा रुपये पैसों में

खसरा

ग्राम: बातरी	हल्का : बातरी	रा.नि.म. : दमुआ	तहसील : जुन्नारदेव	जिला : छिंदवाड़ा	वर्ष: 2019-2020

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी गौरसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के किसी में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान मे फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209/1/2	7.5780	(शासकीय) जल विभाग पता वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा न छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय									पटवारा प्रकरण क्रमांक 0036/अ-19-3/2017-18 आ.दि. 11/09/2018 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(भू-आवंटन)प्रकरण क्रमांक 0036/अ/19/32017-18 आ.दि. 19/09/2020 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल पार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Specimen copy for Digital signature